

२३.५.१५

बन्धील वान्नी उपास्थल। बन्धील वान्नी वी  
बहस सुनी गई। पन्नावली वान्नी आदेश  
दिनांक १.५.१५ को देगा हो।

१.५.१५

पन्नावली वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
एकतरफा कार्यवाही होने से एक पक्षीय  
बहस सुनी गई। बन्धील वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
विक्रम प्रसन्न वान्नी आराजिपात वान्नी वान्नी  
पिता के नाम दर्ज थे एक पिता के स्वर्गवास  
के बाद अन्य वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
को रेकार्ड में दर्ज होता वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
हुआ है। आरंभ स्वयं वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
देश विधा। एकर लोम एकर रेकार्ड एकर  
एकर शपथ पत्र वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
बन्धील वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
गया। वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
में उरुका इका वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
इती कार विधा जाकर आदेश विधा जाता  
है कि एकर वान्नी आराजिपात वान्नी वान्नी वान्नी  
पर वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
विधा जाकर एकर विधा वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
आरंभ वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
में वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
उपयोग व उपयोग में वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
के लोड वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
कोरे विधी जारी हो।

आज यह निर्णय सुले वान्नी वान्नी वान्नी  
सुनाया गया।

पन्नावली वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी  
में वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी वान्नी

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

तारीख  
क्रम

इस धा अधिकांश मय इतिहास जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

29-7-15

कार्य के अधीन नों धारणा पत्र पेश  
विभागाधी निर्दिष्ट 25.4.15 को निर्दिष्ट  
डिप्टी कमिश्नर जी. गौड़ निम्न में ग्राम व आसपास  
माकर अंशित नहीं है तहसीलदार की रिपोर्ट  
अधी प्राप्त है निम्न में ग्राम व आसपास  
अंशित नहीं है। अतः ग्राम व आसपास  
की धारणा पत्र शीघ्र ही जारी किया जाता है

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम  
जवलापुरा पटना हल्का नम्बर 2 प्लॉट नम्बर  
285, 372, 383, 384, 385, 414 कुल किला 06  
कुल रकबा 08 बीघा 11 किराता 05 में हिस्से  
पर वादिया को शीघ्र ही दायरतकार धारित  
किया जाकर फाईल में धारणा इस आशय  
की जारी की जाती है कि वादिया पर हिस्से  
पर वादिया के नकल, दायरतकार उपयोग उपभोग  
में प्रतिबन्धी नं. 1 में धारणा 06 को ही कवरवह  
बाधु है परबल नहीं करे संसोधित डिप्टी  
जारी है

पञ्जाबली केशला शुभारोहण नाम  
सि नाम हो/ Jul

सहायक कमिश्नर एवं  
निदेशक अधिकांश पटना

डिक्री

( आ० 20 नियम 6 / जा०दी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री देवी सिंह रावत ( आ०००००० )

अनवान प्रकरण

श्री मती स्नेहलता कंवर प/० श्री नन्दसिंह दरोगा, निवासी-नवलपुरा टाल निवासी  
बागौर, तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

1. श्री जयदेवसिंह प/० श्री श्यामसिंह दरोगा, निवासी-नवलपुरा टाल निवासी-बागौर, तहसील-माण्डल
2. श्री हेमेश सिंह प/० श्री श्यामसिंह दरोगा " "
3. अनुराधा प/० श्री श्यामसिंह दरोगा " "
4. श्रीमती सागर कंवर प/० श्री श्यामसिंह दरोगा " "
5. श्री शंभु सिंह प/० श्री नन्दसिंह दरोगा " "
6. श्री मंजू सिंह प/० श्री नन्दसिंह दरोगा, निवासी-नवलपुरा टाल निवासी-बागौर, तहसील-माण्डल
7. राजस्थान राज्य जसिमे तहसीलदार, माण्डल, तहसील-माण्डल प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89-188 मुकदमा नं० / वर्ष 253/12 निर्णय दिनांक 7-5-15

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी

मिनजानिव मुददई व श्री राजमल जीनगर ... मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुबम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर आदेश

दिया जाता है कि प्रश्नगत आराजियात के 1/4 हिस्से पर वादिया को खातेदार

कार्तकार घोषित किया जाकर रयाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की


जाती है कि वादिया 1/4 हिस्से पर वादिया के कब्जे, कारत उपभोग व

उपयोग मे प्रतिवादी सं० 01 से लगायत 06 कोई ककावट, बाधा व देखल

नही करे।

फरिक्तेन खर्चा अपना-अपना वहन करे।

आज तारीख 7-5-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

  
उपखण्ड, जिलाधिकारी, भीलवाड़ा

शरीफिया डिक्री

( आ० २० नियम ६ / जा०वी० )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान  
वईजलास श्री देवीसिंह शंकर ( आ००५०५०० )

श्रीमती स्नेहलता देवरा ०१०  
जन्दासिंह देवरा नवलपुरा अनवान प्रकरण जयदेवसिंह  
हाल बागौर

श्री श्रीमती स्नेहलता देवरा ०१० नवलपुरा देवरा  
नवलपुरा हाल नि. बागौर

वादी

बनाम देवरा

- 1 श्री जयदेवसिंह पिता जयसिंह, नि. नवलपुरा हाल बागौर २
- 2 " हमन्द सिंह " " "
- 3 " अनुराधा ०१० " " "
- 4 श्रीमती स्नेहलता देवरा " " "
- 5 श्री श्रीसुसिंह एवं नन्दसिंह देवरा " " "
- 6 " मैकसिंह ०१० " " "
- 7 राजस्थान राज्य जाग्दे लहरीलदार

प्रतिवादी

६४,६९-१४९


वाद अन्तर्गत धारा ..... मुकदमा नं० / वर्ष २५३/१२ निर्णय दिनांक २३-७-१५

यह मुकदमा अज अदालत वाद इन्फिजल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी  
मिनजानिव मुददई व श्रीराजमल जसिंह भनलाभिव मुदाबला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि

ग्राम नवलपुरा प. ह. बागौर २४ के आ. नं २४५, ३७२, ३८३,  
३८५, ३८५, ५५५ कुल कितो ०६ कुल रकबा ०८८ की जा १५ करना  
के में हिस्से पर वादिया को शवातदार नारतवार घोषित  
किया जाकर रूपाई नि. छे धारा इस आरुच वर जागे  
वा जाते हैं वि. वादिया में हिस्से पर वादिया के नवलपुरा  
कारत उपयोग. व उपयोग में हतिवादी पर व अ. ललापत ०६  
कोई शवातदार वा. हा व देखल गली करे।

आज तारीख २३-७-१५ को गेरे हरताधर एवं न्यायालय की गोहर से जारी की गई।

  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल  
माण्डल, जिला - भीलवाड़ा